मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 31 मार्च, 2016 (चैत्र 11, शक सम्वत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल में उल्लेख

नियम 139 के अधीन प्रदेश में गंभीर पेयजल संकट व्याप्त होने संबंधी चर्चा की मांग विषयक

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि प्रदेश में पीने के पानी की भीषण समस्या है , हमने स्थगन और ध्यानाकर्षण दिये हैं. हम चाहते हैं कि सरकार से जवाब मांगकर प्रश्नकाल के पहले इस गंभीर समस्या पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिये.

2. गर्भगृह में प्रवेश एवं व्यवधान के कारण कार्यवाही स्थगित की जाना

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण नारे लगाते हुये गर्भगृह में आये.

(अध्यक्ष महोदय द्वारा उल्लेख किया गया कि माननीय सदस्य प्रश्नकाल उपरांत इस संबंध में बोल सकते हैं. सदन में व्यवधान होने के कारण, मध्याह्न 11.08 बजे कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.22 बजे पुन: समवेत् की गई.)

अध्यक्ष महोदय (डॉ सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

3. प्रश्नकाल में उल्लेख (क्रमश:)

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष एवं कुछ सदस्यों द्वारा प्रदेश में पेयजल संकट पर दिए गए ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव और 139 के अधीन सूचना पर चर्चा की मांग की गई.

अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में शासन का मत लिया गया.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्यमंत्री द्वारा बताया गया कि शासन जवाब देने को तैयार है. यह सच है कि पेयजल संकट है. लेकिन यह सरकार का दिया हुआ नहीं बल्कि प्राकृतिक संकट है. सरकार पूरी मेहनत के साथ जनता की सेवा करना चाहती है. सरकार ने कभी भी किसी विषय पर चर्चा से पलायन नहीं किया है. अत: प्रभारी नेता प्रतिपक्ष से मेरी यह गुजारिश है कि जब चाहें, जैसे चाहें, जिस नियम के तहत चाहें चर्चा करें. सरकार जनता की सेवा के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि माननीय उपनेता और माननीय संसदीय कार्यमंत्री दोनों के विचार के अनुसार आज अपराह्न में नियम 139 के अधीन पेयजल की समस्या पर सदन में चर्चा कराई जाएगी.

4. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 एवं 15) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 155 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 177 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की रतलाम जिले के बरगढ़ फंटे से मोसाना फंटे तक बायपास सड़क का निर्माण किये जाने,

(2) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले के बड़ौदा नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पलंगों की संख्या बढ़ाई जाने,

(3) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, सदस्य की सोनकच्छ के ग्राम टोंककला में टील्लर नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की मुरैना जिले की तहसील कैलारस की चंबल नदी के घाट निर्माण को बंद किये जाने,
(5) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की सीहोर जिले के इछावर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या होने,
(6) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सीधी एवं सिंगरौली जिले में मनरेगा के मजदूरों का भुगतान न होने,
(7) श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य की सीहोर जिले के ग्राम मालीखेड़ा से दुपाड़िया तक सड़क मार्ग जर्जर होने
(8) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले की महाराज के ग्रामीण क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिये जाने,
(9) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य की सतना जिले के शैक्षणिक संस्थानों में पेयजल समस्या होने तथा
(10) श्री हजारीलाल दांगी, सदस्य की राजगढ़ जिले में इंदिरा आवास योजना के हितग्राहियों को राशि आवंटित न किये जाने,
सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई.

6. शून्यकाल में उल्लेख
मध्यप्रदेश शासन के मंत्रालय में फाईलें जलना

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि "मध्यप्रदेश शासन के मंत्रालय में कुछ फाईलें जल गई हैं. कई लोगों का स्वेच्छानुदान स्वीकृत हो चुका था, लेकिन उनको नहीं पहुंचा है. हमारा शासन से अनुरोध है कि कम से कम जो जनहित के मामलों की फाईलें सुरक्षित रखी जाएं और पीड़ित लोगों को बुलाकर सहायता दिलायी जाये.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार –

(क) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 43 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 एवं
(ख) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14,

पटल पर रखे.

8. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन में लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तदनुसार –

(1) पं. रमेश दुबे, सदस्य ने पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण में मजदूर की मिट्टी में दबकर मौत होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य ने शहडोल-बजाग-पडरिया सड़क निर्माण में मुरम की अवैध खुदाई किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(3) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले के करेली शहर में जल प्रदाय योजना का कार्य प्रारंभ न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण ने इस पर वक्तव्य दिया.

(4) श्री दिनेश राय, सदस्य ने सिवनी जिले में शासकीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को न मिलने की ओर सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

9. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति ने याचिका समिति का तैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं:-

(1) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(2) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(3) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(4) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(5) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(6) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर शहर)
(7) श्री विश्वास सारंग (जिला-भोपाल)
(8) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)

(9) श्री कालूसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(10) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(11) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(12) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(13) श्री गिरीश गौतम (जिला-रीवा)
(14) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मंदसौर)
(15) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(16) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(17) श्री अशोक रोहाणी (जिला-जबलपुर)
(18) श्रीमती संगीता चारेल (जिला-रतलाम)
(19) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(20) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(21) श्री आशीष गोविंद शर्मा (जिला-देवास)
(22) श्रीमती चंदा सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(23) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)
(24) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (जिला-अशोक नगर)
(25) श्री प्रहलाद भारती (जिला-शिवपुरी)
(26) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(27) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(28) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(29) श्री वीर सिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(30) श्री सचिन यादव (जिला-खरगोन)
(31) पं. रमाकांत तिवारी (जिला-रीवा)
(32) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(33) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया (जिला-मुरैना)
(34) श्री गोविंद सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(35) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(36) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(37) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(38) श्रीमती ललिता यादव (जिला-छतरपुर)
(39) श्रीमती शकुन्तला खटीक (जिला-शिवपुरी)
(40) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(41) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(42) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण ने सदन की अनुमति से मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 7 सन् 2016) पुर:स्थापित किया.

(2) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 6 सन् 2016) पर विचार किया जाए. श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 6 सन् 2016) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

12. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

दिनांक 18 मार्च, 2016 को ऊर्जा मंत्री से पूछे गए परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 92 (क्रमांक 5914) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रमेश मैन्दोला, सदस्य की अनुपस्थिति के कारण चर्चा नहीं हुई.

(अपराह्न 12.46 से 3.08 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

13. अध्यक्षीय घोषणा
अनुपूरक कार्यसूची में उल्लिखित कार्य लिये जाने विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की कि अब अनुपूरक कार्यसूची में उल्लिखित कार्य लिया जायेगा.

14. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन की अनुमति से मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 8 सन् 2016) पुर:स्थापित किया.

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन की अनुमति से मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 9 सन् 2016) पुर:स्थापित किया.

(4) श्री लाल सिंह आर्य, राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन ने सदन की अनुमति से मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 10 सन् 2016) पुर:स्थापित किया.

15. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

मध्यप्रदेश में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री कमलेश्वर पटेल तथा रामनिवास रावत, सदस्यगण द्वारा उठाई गई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री कमलेश्वर पटेल
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री रामनिवास रावत
(4) डॉ. कैलाश जाटव
(5) श्री मुकेश नायक
(6) श्री पन्नालाल शाक्य
(7) डॉ. गोविन्द सिंह
(8) श्री रामप्यारे कुलस्ते

सभापति महोदय (डॉ. गोविन्द सिंह) पीठासीन हुए.

(9) कुंवर विक्रम सिंह
(10) श्री प्रदीप अग्रवाल
(11) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(12) श्री रणजीत सिंह गुणवान
(13) श्री हरदीप सिंह डंग
(14) डॉ. योगेन्द्र निर्मल
(15) श्री जयवर्द्धन सिंह

16. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 8 में उल्लेखित चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि संबंधी घोषणा की गई.

17. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमश:)

(16) श्री सूबेदार सिंह रजौधा

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(17) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(18) श्री के.के. श्रीवास्तव
(19) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
(20) श्री गिरीश भंडारी
(21) श्री सुखेन्द्र सिंह

(22) श्री यादवेन्द्र सिंह
(23) श्री दिनेश राय
(24) श्री रजनीश हरवंश सिंह
(25) कुंवर सौरभ सिंह
(26) श्री शैलेन्द्र पटेल
(27) श्री जितू पटवारी
(28) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
(29) श्री बला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

18. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री रामप्यारे कुलस्ते, सभापति द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तेरहवें प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल, 2016 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :--

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्रमांक	माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक - 36)	श्री यशपाल सिंह सिसोदिया	1 घण्टा
2.	(क्रमांक - 46)	श्री रामनिवास रावत	30 मिनट
3.	(क्रमांक - 60)	श्री शैलेन्द्र जैन	30 मिनट
4.	(क्रमांक – 8, 52, 53, 54, 55, 65)	सर्वश्री सुखेन्द्र सिंह, महेश राय, निशंक कुमार जैन, वीर सिंह पंवार, कल्याण सिंह ठाकुर, दिलीप सिंह शेखावत	30 मिनट

श्री रामप्यारे कुलस्ते, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 7.15 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल, 2016 (चैत्र 12, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 31 मार्च, 2016